WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) AND MICELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL, 1989—Contd.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now two hours were allotted for this Bill. We have already finished two hours... Just a minute. At 2 o'clock we should have finished this business. Now it is going to be quarter to three. At three, we have a statement. So I would ask Mr. Gopalsamy to make his speech and then the Minister will reply. Mr. Gopalsamy. Only four minutes.

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): Statement on what?

THE DEPUTY CHAIRMAN: The statement on Bodo situation.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: What about the statement on Prime Minister's speech?

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is not at 3 o'clock. Mr. Buta Singh's father is very seriously ill in the hospital... I do not know the timing.

SHRI V. GOPALSAMY: We wish him speedy recovery.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Buta Singh's father is seriously ill in the hospital. So I cannot give any timing. Let us take it in a humanitarian spirit. Let me finish with this business.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): The statement by Mr. Santosh Mohan Dev is on the Bodo situation.

SHRI V. GOPALSAMY: At last the Government has brought this Bill—the Journalists and Newspaper Employees Bill. Madam, the Bachawat Wage Board submitted its report in the month of May. The previous Wage Board was constituted in the late '70s. More or less ten years have elapsed for this second Wage Board. Normally they take four to five years to finalise the report. There is a gap of ten years between the previous Wage Board's and the present Wage Board's report. Madam, most of the recommendations of the Bachawat Wage Board were not acceptable to the journalists and newspaper employees. The newspaper employees organisations have characterised most of the recommendations of the Bachawat Board as inadequate and not up to their satisfaction. Therefore, the Government should have brought a comprehensive legislation on this issue.

The Bachawat Board has suggested that there should be an Expert Committee to study very important issues like the question of health hazards and risk to life. May I know from the Government what their view is on this? Are they going to constitute an Expert Committee?

Similarly, about the provision of medical insurance to the employees and their dependents and the pension scheme which have been recommended by the Bachawat Board, what is the attitude of the Government towards these recommendations? This bill is very much silent on that.

Madam, the newspaper employees and journalists have been demanding that they should be treated at par with the Central Government employees and they should also be entitled to the benefits given by the Fourth Pay Commission in regard to salary and allowances and other facilities. The newspaper employees organisations have made representations asking for modification of the recommendations on many counts—i.e. on house-rent and dearness allowance formula. There are these big lacunae in this Bill. As far as the dearness formula is concerned, hundred per cent neutralisation of dearness is only upto Rs. 1250, whereas for Central Govern-

[Shri V. Gopalsamy]

ment employees, the neutralisation is up to Rs. 3500. What does it mean? Even lower class employees do not get this 100 per cent neutralization. So, this is a big lacuna. Therefore, would the Government pay attention to this big lacuna and rectify it?

Then comes the question of City Compensatory Allowance. They have introduced this for the first time. Of course, we have to welcome it. But, what is the amount? It is very, very meagre. Even at the highest level the maximum rate is Rs. 70 or Rs. 80. That means others will be getting only Rs. 30 to Rs. 35. It is an insult, it is ridiculous. You should not have introduced it at all. It is just for namesake, to say, "Oh! We have introduced the City Compensatory Allowance for the journalists and newspapermen also."

Madam, I would request the Government that there should not be any further delay in the issue of the notification.

Madam, Members from both sides have been applauding the press freedom. The fourth estate is the bulwark of democracy, the custodian of democracy. But what happened during the days of the Emergency? During the Emergency it was oppressed, it was about to be strangulated and liquidated by the Government, by the present ruling party which was in power during those days. Again they tried to bring in the most infamous Defamation Bill, but when they were afraid that the whole country would rise as one man against it, they retreated. It is very unforunate that even today some people, sitting at the highest forum, try to intimidate or threaten or blackmail the press people and journalists. Just two days back it appears that a member of the Cabinet telephoned the Editor of a particular paper and said so many things. So, by such things they are trying to intimidate, blackmail or threaten them. This is the attitude they are adopting. Therefore, whatever they may say about the freedom of the press, the whole country knows what amount of respect they have got for press freedom, because it was the press which was most affected during the days of the Emergency. Therefore, Madam, I want to know from the Government, through you, whether this Government would implement the other recommendations, which could be accepted by the newspapermen and journalists, made by the Bachawat Commission.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Madam, one minute.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute.

कृषि मंत्री (श्री भजनलाल) : मैडम, एक मिनट । इन्होंने एक बात जो कही है कि पत्रकारों को डराते धमकाते हैं मंत्रीजी, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पत्रकारों का भी एक दायित्व है ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. GOPALSAMY: I did not say that Mr. Bhajan Lal stoned up Mr. Arun Shourie.

श्री भजन लाल : हम बड़ा सम्मान करते हैं पत्रकारों का और सारे के सारे जितने भी अखबार के मालिक हैं उनका भी और प्रेस का भी, इसका मतलब यह नहीं कि जो बगैर मतलब की बात हो, बगैर सिरपैर की बात हो और ब्लैकमेल वह करते हैं एक-आध अखबार कि जिनका काम है कि वह ...(**व्यवधान**)... वह अखबार थोड़े हैं, वह तो एक तरह से इश्तहार है सरकार के खिलाफ, क्या पढ़ेंगे उसको ? किसी बात बेस होना चाहिए, कोई बात हो तो फिर बात समझ में आ सकती है।...(**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: मैडम, यह बहुत ही आपत्तिजनक है कि एक दैनिक अखबार को इश्तहार कहा जा रहा है ।

श्री भजन लाल : आपका कोई वर्कर गलत काम करे तो क्या मालिक को बताना आपका फर्ज नहीं है कि आपका यह वर्कर गलत काम

करता है, इसको रोकना चाहिए, इसकी तह में जाना चाहिए ... (व्यवधान) ...

उपसभापति : भजन लाल जी, मंत्री जी जवाब दे देंगे ।

श्री भजन लाल : यह बात ठीक है या नहीं ? अगर वह दूसरे लोगों से मिलकर के, साठ-गांठ करके गलत बात करें और उसके बारे में हम कह भी नहीं सकें । यह तो मुनासिब बात नहीं है ।

SHRI V. GOPALSAMY: You tried all the tricks against the Indian Express. Your past record is very clear—your past record is very bad.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would like to say that we have allotted two hours for this Bill, and two hours are already over. The Minister has to reply. I can read out the names of those who wanted to support this Bill.

DR. NAGEN SAIKIA (Assam): No.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can't say 'No.' We have no choice. The names are: Shri Santosh Bagrodia, Shri Suresh Pachouri, Dr. Ratnakar Pandey, Shri Vishwa Bandhu Gupta...

DR. NAGEN SAIKIA: It is not nice on your part, Madam.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA (Delhi): Madam, I have to say something. Please allow me a minute's time.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Time does not come from my pocket. Time comes from the business of the House. We have other business. I understand, you wanted to say something. I agree that you support the Bill, and that's all. And Mr. Saikia, Mr. Sourendra Bhattacharjee, Mr. Chitta Basu, Mr. G. R. Matto, Mrs. Asima Chatterjee wanted to speak. I assume that you all have supported the Bill. Let us hear the Minister now.

DR. NAGEN SAIKIA (Assam): I wish to speak only for a few minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't mind one hour. But there is no time. (*Interruptions*) Please don't waste the time. The Minister has to speak. (*Interruptions*)

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : मेरा नाम नहीं लिखा है ।

उपसभापति : आपका नाम भी लिखा है । आप भी डिबेट करने वाले हैं । बस, मिस्टर मिनिस्टर ।

(*Interruptions*)

PROF C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): It is important. Essentially when parties have to speak, at least one minute has to be given. I can understand, they represent independent parties.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Did you not hear that the Opposition wanted to pass the Bill even without discussion?

PROF. C. LAKSHMANNA: That is different.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not different. Please don't waste the time.

PROF. C. LAKSHMANNA: These are two different things. Once you have allowed the discussion, the parties have to speak. Otherwise, it is not proper.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have no time.

PROF. C. LAKSHMANNA: After all we are in a democracy.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Prof. saheb, will you please be kind enough? I will be highly obliged to you.

PROF. C. LAKSHMANNA: It is not a question of being obliged. It is a question of propriety.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please abide by the Chair. Listen to me. The Minister is already on his legs. I have no time. He is already speaking.

श्री विश्वेश्वरो दुबे : महोदया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एण्ड अदर न्यूज पेपर एम्पलाइज कंडीशन आफ सर्विस अमेंडमेंट बिल, 1989 जो मैंने इस सदन में विचारार्थ रखा है उसके संबंध में कितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार दिये हैं उन सभी ने इस बिल का समर्थन किया है और इस बिल का स्वागत किया है। मैं सिर्फ . . . (**व्यवधान**)

SHRI DIPEN GHOSH: If anybody from any party or group represented in this House wants to speak on a Bill which is under discussion, can you deny him?

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. Just a minute, Minister saheb. I must answer them.

I cannot deny, and I am not denying. I read everybody's name. The constraint of the time is there. I have to curtail the names. I have mentioned the names. (*Interruptions*)

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): You will be speaking on our behalf...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not, I have not.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: ... as you have suggested, Madam, in this case.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not understand what has happened to our Members. I really do not understand. Please sit down. Don't get up when I am speaking. (*Interruptions*) Please take your seat. I am requesting you. We have a heavy business to go through. The Govrenment allotted two hours. Already we have finished two hours. The Minister has to reply. Two hours are over. (*Interruptions*)

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Who is responsible? The parties?

SHRI DIPEN GHOSH: For dividing two two hours among the political parties or groups represented in the House, there is a formula, and according to that, the AGP or the RSP could get some time, even a minute.

THE DEPUTY CHAIRMAN: They got it. There was 15 minutes. Already somebody spoke on their behalf.

DR. NAGEN SAIKIA: Nobody spoke on our behalf.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dipen Ghosh, your party was given time. Somebody spoke from your party.

SHRI DIPEN GHOSH: You give one minute each, one-and-a half minutes each.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Prof. saheb, do you not know that somebody spoke from your party?

PROF. C. LAKSHMANNA: I do not want to speak. I did not say that I wanted to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Already somebody spoke.

PROF. C. LAKSHMANNA: I do not want to speak. I am not asking that. I am not saying that I will speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Every party is being given time.

PROF. C. LAKSHMANNA: The RSP, the SSP, the AGP will speak. I do not want to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is very unfortunate that on a serious matter also you do not co-operate. You should understand.

SHRI CHITTA BASU: What is there to co-operate? (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Let me explain to you one thing.

You understand, Mr. Bhattacharjee, that for "Others" there is 15 minutes. "Others" means all of you. So, for all of you, small parties, 15 minutes is there. You are not a party. You come only under "Others." You are not a regisetred party, let me put it on record.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Should they be accused of short of understanding? (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I really do not understand how I should tell you. Read the Rules book.

PROF. C. LAKSHMANNA: Why did you allow the statements to be made in between? All sorts of things are allowed. But, at the same time, legitimate time required for parties is not permitted. I do not understand this.

श्री बिश्वेश्वरी दुबे : महोदया, समय के अभाव को देखते हुये मैं अपने आप को जो बातें इस बिल से सीधा संबंध रखती है या रिलेवेंस रखती है उस पर ही मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। वैसे बहुत सारे ऐसे सुझाव आये हैं जिनका बिल से सीधा संबंध नहीं है। लेकिन उन सुझावों को भविष्य में जर्नलिस्टस और नान-जर्नलिस्ट्स से संबंधित निर्णय लेने में या कोई कार्यक्रम बनाने में हम निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। जहां तक इस बिल का संबंध है, यद्यपि इसका सभी ने स्वागत किया है, श्री चतुरानन मिश्र जी ने और एकाध अन्य सदस्यों ने कहा है कि इसमें अभी कुछ लूपहोल्स रह गये हैं। उन्होंने शेडयूल के एक क्लाज को पढ़कर बताया कि इसमें ऐसा लगता है कि जो गुंजाइश इसमें तोड़-मरोड़ करने की थी वह अभी भी रह गई है। संभवतः उन्होंने इस बिल के शेड्यूल के सारे क्लाजेज को गहराई से नहीं पढ़ा और पूरा देखने की कोशिश नहीं की है। इसलिये उनको यह आशंका हुई है। वैसी बात नहीं है। मैंने और हमारे मंत्रालय के लोगों ने और विधि मंत्रालय के लोगों ने इनको काफी गम्भीरता से देखा है उनके सम-विचार वाले जो माननीय सदस्य हैं जिनको आशंका है कि इसमें अभी भी खामियां रह गई हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें इस बात की पूरी कशिश है कि भविष्य में इसमें दी गई किसी परिभाषा का कोई रोंग इंटरप्रिटेशन नहीं हो सके। न्यूजपेपर्स इस्टेब्लिसमेंट के पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं करने के फलस्वरूप न्यूजपेपर्स इस्टेब्लिसमेंट के मालिकों ने किस-किस तरह से जितने भी कामन कंट्रोल क्लासिफिकेशन और तोड़-मरोड़ की जा सकती थी, ऊंचे लेवल से नीचे लेवल तक ले जाने के जितने भी नये-नये उपायों को इजाद किया जा सकता था, करके और किस तरह से जरनलिस्टों और दूसरे कर्मचारियों को जो उनको उचित पे स्केल मिलने चाहिये थे और उससे संबंधित जो बेनिफिट्स मिलने चाहिये थे उनसे वंचित रखा, उनके संबंध में कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं। उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैंने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा है कि अब तक वेज बोर्ड की जितनी भी रिपोर्टें आई हैं जिसमें बचावत कमीशन की रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है, उन सब का हम लोगों ने गहराई से अध्ययन किया है और जिन कारण से वेज बोर्ड की रिपोर्ट आने में विलम्ब होता रहा है उसको हमने इस दृष्टि से देखा है कि क्या कानून में कुछ ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से विलम्ब हुआ है और जैसा कि हम लोगों ने महसूस किया है कि कानून में कुछ ऐसी टर्मिनोलोजी के टर्म यूज किये गये हैं जिनको पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं करते या डेफिनिशन नहीं दिये जाने के कारण उसकी रोंग इंटरप्रिटेशन और जो कंट्रावर्सी उठती रही है उसको हम दूर कर दें ताकि भविष्य में भी जो वेज बोर्ड बनें उनको भी विलम्ब का सामना न करना पड़े। अभी जो वेज बोर्ड की रपोर्ट आई जिसमें बहुत सारी सिफारिशें आई हैं, उसके कार्यान्वियन

[श्री बिन्देश्वरी दुबे]

में, उसके रौंग इंटरप्रिटेशन से बाधा न पड़े, विलम्ब न हो। यह उद्देश्य कितना अच्छा है, उसको भी माननीय सदस्यों ने समझा है। वैसे एकाध माननीय सदस्यों ने इसमें भी कुछ राजनीति देखी है। उनको इसमें इलेक्शन गिमिक मालूम होता है। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। यह उनका नेत्र दोष और उनकी दृष्टि दोष ही है, इसलिये उसकी चर्चा करना फजूल है। यह कहा गया कि सरकार गंभीरता से इस बिल से संबंधित बचावत वेज बोर्ड को दृष्टि में रखकर एमेंडमेंट नहीं लाई है। ऐसी बात भी नहीं है। बचावत वेज बोर्ड के जो सजेसन्स है उनको भी ध्यान में रखा गया है। माननीय सदस्यों ने यह जानना चाहा है कि विशेषतौर पर बचावत वेज बोर्ड का विलम्ब का क्या कारण है और सरकार को उस पर निर्णय लेने में क्यों विलम्ब हो रहा है? बचावत वेज बोर्ड के विलम्ब के बहुत सारे कारण रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि उसमें विलम्ब न हो। माननीय सदस्यों को इस बात का पता है कि किस तरह यूनेनीमस रेजोल्यूशन के बावजूद भी जितना वे एक्सटेंशन चाहते थे, वह सरकार ने कभी नहीं दिया और बार-बार इस बात की कोशिश की, उनको समझाया कि इस रिपोर्ट के आने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये। रिपोर्ट समय पर आ जाय और रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय हो जाय इसमें हमारे प्रधानमंत्री ने जितनी दिलचस्पी ली है वह माननीय सदस्यों को मालूम नहीं है। अगर उन्हें मालूम होता तो कभी भी वे सरकार की नीयत पर संदेह नहीं करते। जब यह रिपोर्ट पेश करने की बात थी, जब उसकी अंतिम तिथि थी, 31 मई को, तब मैं हास्पिटलाइज्ड था। मुझे मालूम चला कि रिपोर्ट 30 को कम्पलीट हो गई है और 30 को ही शायद वह मिल सकती है। बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि मैं गंभीर बीमार होते हुये भी आफिस गया ताकि मेरी वजह से रिपोर्ट के सबमिसन में एक दिन का भी विलम्ब न हो। मैंने इस रिपोर्ट की गंभीरता को समझा और मैंने स्वयं जाकर उसको लिया। इसके पांच दिन बाद मैं आप्रेशन के लिये लन्दन चला गया। यह इस बात का प्रतीक है कि सरकार की कितनी गहरी दिलचस्पी थी कि इसमें विलम्ब न हो। 720 पन्नों की वेज बोर्ड की कम्पोजिट रिपोर्ट है और 240 पन्नों में भिन्न-भिन्न मेंबरों के डिसेंट नोट हैं। हमें सारी बातों की छानबीन करनी थी। सरकार कोई निर्णय लेने से पहले, इसमें 11 सदस्य थे और केवल एक सदस्य ने चेयरमैन के साथ सहमति जाहिर की और बाकी नौ सदस्यों ने अपने डिसेंट नोट दिये। उनका भी अध्ययन करना था और देखना था कि क्या उनमें कोई जस्टिफिकेशन है। इस प्रकार सारी बातों का अध्ययन करने में टोटल दो महीने का समय लगा है। आप इसके पूर्व के इतिहास को देखें कि वेज बोर्ड का निर्णय और उसके कार्यान्वयन में कितना समय लगा। इसको देखने के बाद आप मानेंगे कि सरकार ने कितनी सीरियसनेस के साथ इसको प्रोसेस किया है। मैं सदन को सिर्फ इतनी सूचना देना चाहता हूं कि क्योंकि माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये और जो अधिसूचना है उसको शीघ्र अधिसूचित किया जाय। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार बचावत वेज बोर्ड की रिपोर्ट पर अपने निर्णय को शीघ्र, यथाशीघ्र, अतिशीघ्र अधिसूचित करने जा रही है। सरकार इसमें बिल्कुल विलम्ब नहीं करेगी। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि वेज बोर्ड के एक माननीय सदस्य ने 6 दिन के बाद दस्तखत किये जबकि मैं यहां नहीं था। मैं बाहर इलाज के लिये चला गया था। उन्होंने दस्तखत करते हुये डिसेंटिंग नोट में यह भी कहा कि मैं कोर्ट में जाऊंगा। इसलिये सरकार ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि कोई ऐसी बात न रह जाय जिससे भविष्य में इसके कार्यान्वय

में बाधा हो, इस मामले को कोर्ट में ड्रैग कर, रांग इंटरप्रटेशन करके इसके कार्यान्वियन में विलम्ब न हो। किस-किस तरह से कार्यान्वियन में विलम्ब हुआ है, अभी पालेकर वगैरह की रिपोर्ट के संबंध में आपको जानकारी है, बहुत से सदस्य इसको नजदीक से जानते हैं कि किस किस तरह से बड़े-बड़े न्यूज पेपर्स एस्टेबलिशमेंट के मालिकों ने, जिनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनका ग्रास रेवेन्यू इस चीज को परमिट नहीं कर सकता, जिनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उन्होंने किस तरह से पहले के वेज बोर्डस की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में नाना प्रकार से बाधा डाली और उनको तोड़-मरोड़ कर पेश किया और उन सिफारिशों को मानने में विलम्ब किया और अभी भी उनको पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया है। सारी कोशिशों 3.00 P.M. के बावजूद और सरकार की कोई कार्यवाही करने के बाद वह कोर्ट में चले जाते हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं किस तरह से सारी बातें स्पष्ट होने के बाद मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कुछ बड़े पत्र समूह का एकाध का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं कि उन्होंने किस तरह से अपनी क्लासीफिकेशन को उसकी क्लासीफिकेशन के लेवल को कम करने के लिये अपनी इस्टेब्लिशमेंट का नाम बदलना चाहा। इम्पलाइज कोर्ट में चले गये और कोर्ट ने स्ट्रक-डाऊन कर दिया।

श्री चतुरानन मिश्र : आप इसको नाइंथ शैड्यूल में रख दीजिये।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : उस पर भी कानूनी राय ली गई है। आप के सुझाव को मैंने सुना है। मैंने इस पर चर्चा नहीं की। इसमें कानूनी राय ली गई थी। नोटिफिकेशन के पहले कानूनी राय ज न कर के उस पर क यँव ही की ज एगी। अगर कुछ फायदा होग तो जरूर कार्यवाही होगी। हम लोग काफी सावधानी से सतर्कता से स री चाजें जो बच वत वेज रिपोर्ट से हैं उनको प्रोसेस कर लिय है उसके अन्तिम चरण में पहुंच गये हैं इसकी अधिसूचना जैसे कि मैंने कहा कि अतिशीघ्र करने वाले हैं लेकिन उसके पहले मैंने उचित समझा कि भविष्य में किसी वेज बोर्ड को इन कारणों से जो कारण मैंने बताए हैं कोई दिक्कत पैदा नहीं हो कोई अगने से री कंट्रोवर्सी नहीं हो उसको वजह से विलम्ब नहीं हो कार्यान्वियन में खास तौर से रांग इंटरप्रिटेशन से कोई बाधा नहीं पड़े इसलिए इस बिल को लाना मैंने अवश्यक समझा है। कुछ म ननीय सदस्यों ने प्रेस को स्वतंत्रता की ब त की। मैं कहना चाहता हूं कि देश के और हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री र जीव जी और उनकी सरकार पत्रक रिता के पेशे को बहुत महत्वपूर्ण समझती है बहुत सम्म नपूर्ण पेशा समझती है और इसलिए पत्रकारिता के पेशे में लगे हुए लोगों को हम बहुत ही सम्मान और अ दर की दृष्टि से देखते हैं और हम चाहते हैं कि समाज में उनको सम्म नपूर्ण जीवन निर्वाह के लिए जो भी उनको अवश्यकत एं हैं पारिश्रमिक के रूप में अन्य सुविधाओं के रूप में उन्हें प्राप्त हों। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं हम समाज में उन्हें सम्मानपूर्ण और प्रतिष्ठापूर्ण स्थान दिलाने में कोई भी कोर कसर नहीं रखेंगे। लेकिन जहां पत्रक रिता की स्वतंत्रत की ब त हुई इसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि र जीव जी और र जीव जी की सरकार उनके दल के लोग पत्रक रिता की स्वतंत्रता के बारे में भी अटूट विश्वास रखते हैं और उसके संरक्षण के लिए भी हम और हमारे पहले के नेता भी और आज भी हम पूर्णरूप से प्रतिबद्ध हैं लेकिन पत्रकारिता की स्वतंत्रता के संबध में चतुरानन मिश्र ने एक बड़ी महत्वपूर्ण ब त कही है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। बहुत से अलग अलग लोगों के अलग कनसेप्ट उसके ब रे में हैं। यह कनसेप्चुअल कनफ्यूजन भी उसके बारे में कुछ है इसलिए वह पत्रक रिता की स्वतंत्रता को ठीक से समझते नहीं हैं। पत्रकारिता की स्वतंत्रत को हम से खतरा नहीं है। खतरा है उन पत्र समूहों के म लिकों से वैसे पत्र समूह म लिकों के बहक वे में, कम्प्लशन में आकर वैसे जर्नलिज्म य उस पेशे के लोगों से र जनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर किसी र जनैतिक व्यक्ति य किसी राजनैतिक पार्टी को बदन म करते हैं उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करते

[श्री बिन्देश्वरी दुबे]

है। इसलिए हम सबको जो भी समाज की सेवा करता है चाहे वह किसी दल का हो, दलदल का हो वैसे पत्रकार समूहों के मालिकों या जर्नलिस्ट्स या जर्नलिज्म के पेशे के लोगों को कभी समर्थन नहीं देना चाहिये जो स्वयं अपने ही हाथों से पत्रकारिता की स्वतंत्रता को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाते हैं। दुर्भाग्य है कि सामाजिक जीवन के हर क्षेत्रों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने वैसे लोगों का समर्थन करते हैं। उससे खतरा पहुंचता है। लेकिन हम जिस तरह से पत्रकारिता में लगे हुए लोगों को हर तरह से संरक्षण देने के लिए संकल्पित हैं उसी तरह से पत्रकारिता की स्वतंत्रता को भी संरक्षण देने के लिए जो भी हमकारगर कदम उठा सकते हैं वे उठाते हैं, उठाते रहेंगे। यह उनके सोचने की चीज है। आदमी अगर बीमार पड़ता है तो उसको कोई दूसरी बीमारी नहीं डालता, प्रकृति भी नहीं डालती है लेकिन प्रकृति के जो स्वस्थ रहने के सर्वमान्य सिद्धांत है अगर उनकी कोई अवहेलना करता है, जो तरीके हैं उनकी अवहेलना करता है तो प्रकृति स्वयं उसको दण्ड दे देती है। पत्रकारिता के जगत में लगे हुए लोगों को स्वयं सोचना चाहिए कि उनके लिए भी कुछ स्वस्थ परम्पराएं हैं, उनके पेशे का आखिर कोई कोड आफ कंडक्ट है, अगर वे स्वयं ही उसको तोड़ेंगे उसकी अवहेलना करेंगे तो उनको भी तकलीफ होगी तब उसके लिए वे स्वयं दोषी होंगे, स्वयं जवाबदेह होंगे, न हक दूसरे को उसके लिए दोषी बताना उचित नहीं होगा।

उपसभापति, महोदय, पुनः पत्रकारिता के पेशे में लगे हुए सभी जर्नलिस्ट्स और नान जर्नलिस्ट इम्पलायीज के प्रति सरकार की ओर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके हितों की सुरक्षा की पूरी गारंटी यह सरकार देने के लिए तैयार है और हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कपिल वर्मा : मैडम . . . (व्यवधान)

उपसभापति : आप बोल चुके हैं वर्मा जी।

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: I would like to know what he is going to do about the safety and protection of journalists and whether he is going to give some reliefs to small and medium newspapers.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put the motion to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous provisions Act, 1955, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BINDESHWARI DUBEY: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was passed.

(Interruptions)

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Madam, there is the third reading.

SHRI CHITTA BASU: Third reading. Madam, you cannot bulldoze. After all, you are very much enamoured of rules, very much.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

SHRI CHITTA BASU: You will stick exactly to the rules. And the rules do provide that there should be some comments at the third stage. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let Mr. Chitta Basu speak.

SHRI CHITTA BASU: Therefore, Madam, you cannot deprive the House of its right.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not depriving. You have got the right.

SHRI CHITTA BASU: I want to take part at the third-reading stage of the Bill. Therefore, I want to speak.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Madam...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. I have allowed him.

SHRI CHITTA BASU: Madam, we have listened to the reply of the honourable Minister. He has given some assurances. One assurance is that he will see that Bachawat Commission recommendations are implemented as soon as possible. It is not a question of only implementation of Bachawat Commission's recommendations. Journalists and many on this side have said that the recommendations need modification in favour of working journalists. Working journalists have also made representations to the Prime Minister in regard to HRA, pension, dearness allowance, date of effect, etc. The Minister has not given any assurance as to whether those representations made by the working journalists will be favourably considered and the reoommendations will be modified in favour of the working journalists. I want to know that from the Minister. I also want to know whether there will be a time-frame. 'As soon as possible' does not mean anything. How soon is that 'as soon as possible'? Would the Minister assure this House that he would fix a time-frame? Then there are other recommendations of Bachawat Commission which have not found place in the present Bill. Some other Members have also mentioned about it. Is he prepared to bring a comprehensive Bill on the wages of the working journalists? Lastly, is the Minister in a position to assure the House that the Act will be placed in the Ninth Schedule because unless that is done, I think it will not be possible for the Government to prevent the owners of the newspaper industry from frustrating the desire of the Government?

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: I have received a representation in this morning's mail which I would like to bring to the attention of the honourable Minister where it is stated that Urdu katibs have represented to the Prime Minister that this Bachawat Commission Report does not serve their interests. I would like the Minister to assure me that Urdu katibs (Urdu calligraphists) are as good workmen as any other part of the newspaper workmen and that Urdu katibs will have the same status as other workmen and they will not be discriminated against and if they have any complaints they will be looked into. My second and last point is that the Bill seeks to have a uniform application throughout India. But I have seen newsmen who represent national dailies and news agencies and who are working in Srinagar, Kashmir; they have to spend a lot of money for heating their houses in Winter and using more electric power for heating for which they are compensated by their emnloyees. So it has to be ensured that if a comprehensive uniform Bill is brought in, it should be ensured that the interests of newsmen who work in hilly and cold places are fully safeguarded, and whatever amenities they need are given to them and whatever amenities they now get are not taken away from them.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: I wanted to know from the honourable Minister whether he has provided for the safety and protection of journalists. That point was not at all touched. The point is if we are seeking freedom, we are seeking freedom for the profession as a whole. There are various interests in the pro-

[Shri Vishwa Bandhu Gupta]

duction of a newspaper and I hope that a balance will be found by him in trying to protect all the interests of the journalists and also that he will see that the small and medium newspapers do not close down because of the high price of newsprint Some newspapers have already closed down. Would the honourable Minister look into this aspect also?

Then, there is no provision for training journalists. It is very important that good journalists with a fair wage, with a decent, honourable, wage are able to work in the newspaper establishments.

And, Madam I would like to know whether the Minister has considered that aspect and whether something is going to be done about giving good training to journalists and about other amenities like medical facilities pension, etc. These certainly are very important. But the question is the health of the industry. Has he looked into all these broad aspects and will he take into account the small and medium newspapers also? This is what I wanted to ask. Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Sir, Mr. Bansal.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): Madam Deputy Chairman, at a time when we advocate workers' participation in management, I would like to know from the honourable Minister as to what steps he is taking to promote participation by journalists, both working and non-working journalists, in the management of the newspapers. Madam, I would also like to know what the Government would do in cases where the journalists happen to hold shares in the establishment, but somebody at the top manages to see that these people are kept out. Thank you, Madam.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Madam, about the Urdu calligraphists also he must say something.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Prof. Bhattacharjee.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Madam Deputy Chairman, just one clarification I want to have from the honourable Minister regarding the Explanation given here in the Bill It says:

> "For the purposes of this clause,—
> (a) different departments, branches and centres of newspaper establishment shall be treated as parts thereof;".

Now, Madam there are certain newspapers which have language variants and this, I am afraid, is not covered by this Explanation. I can quote two examples: "The Times of India" and the "Nav Bharat Times," and "The Indian Express" and the "Jan Satta". I would like to know whether all these would be treated as one establishment or separate establishments. Thank you, Madam

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Bagrodia.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Madam Deputy Chairman, I need a few clarifications from the honourable Minister. Since Wage Boards have to be established from time to time for considering the question if wages of the journalists. I would like to know whether we can have a system so that they can be established regularly, that is, whenever the Government desires, we can have that regularly. That is one thing.

Secondly, as my colleague has said about securirty I would like to know whether, if a journalist dies in harness or in the battlefield, we can

have some kind of a system for the welfare of the family of such journalists. In other words, I would like to know whether the wives of such journalists can be treated on par with government officials or with war widows. If any pension scheme is going to be introduced, it can be introduced without any cost to the Government because a cess on the Government advertisements can be levied for this purpose.

Finally, Madam, allotment of houses has been banned for quite some time and this has been done because, according to the Press Commission, this can be considered as a bribe. I do not think that it can be considered as a bribe. So, this question should be considered seriously because this is a very big problem. Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Dr. Ratnakar Pandey.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीया उपसभापति जो, समाचार-पत्रों में ठेकेदारी प्रथा चली हुई है और तीन महीने की तनख्वाह दे करके मालिक किसी भी पत्रकार को बिदा कर देता है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह भी जो ठेकेदारी की कुप्रथा है पत्रकारों के लिए मालिकों की ओर से इसको बैन करने के लिए वह क्या करने जा रहे हैं ? प्रैस आयोग ने छोटे अखबारों के वित्तीय पोषण की सिफारिश की थी और वछावत अवार्ड घोषित किया गया, लेकिन 10 वर्षों में मंहगाई तीन गुना बढ गई है, इसलिए उस अवार्ड को कम से कम 5 वर्ष पहले से लागू किया जाए, इस पर मंत्री महोदय जी का क्या कार्यान्वयन है यह मैं जानना चहता हूं ? अनेक अनपढ परचून बेचने वाले व्यवसाय करने वाले लोग प्रधान संपादक के आसन पर बैठे हुए हैं और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि जो फर्जी संपादक बन गए हैं मालिकाना हक लेने के कारण उनको हटाने के क्या कोई उपाय सरकार सोच रही है ? अगर सोच रही है तो वे क्या हैं ? यही स्पष्टीकरण में चाहूंगा ।

DR. NAGEN SAKIA: Madam, we have seen that the Bachawat Award has been lying unattended for many years. I want to know from the hon. Minister when he is going to give effect to that report.

My next point. I want the working journalists to be given adequate facilities and amenities to serve the country, the people and the humanity at large. I want to know whether a new Pay Commission will be appointed by the Government for this purpose and, if so, when is the Government going to take such decision, from which year?

In our country there are newspapers of three categories. I want to know whether this Act will be made applicable to all the categories of journalists and all the categories of newspapers.

These are my three points.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Suresh Pachouri. Please be very brief.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : जो बडे अखबार हैं, उसमें लगभग 40 प्रतिशत जो न्यूज होती हैं, वे न्यूज एजेंसी के माध्यम से कवर की जाती हैं और छोटे अखबारों में 90 प्रतिशत तो न्यूज होती हैं वे न्यूज एजेंसी के माध्यम से कवर की जाती हैं लेकिन महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो बडी आश्चर्यजनक बात है कि एक माह में एक अखबार को एक प्रति पर 9 पैसे न्यूज एजेंसी को पडते हैं, जो काफी कम रेट है, तो क्या यह रेट बढाने के संबंध में मंत्री जी विचार करेंगे ? साथ ही टी० वी० और रेडियो के लिए जो न्यूज एजेंसी समाचार देती है, उनके रेट बढाए जाने पर भी क्या विचार किया जाएगा ?

महोदया, इसके साथ ही जो छोटे पत्रकार हैं, नेशनल लेबल और रीजनल लेबल से हटकर, जो कि महत्वपूर्ण न्यूज का संकलन करते हैं और देते हैं आम आद-

[श्री सुरेश पचौरी]

मियों से सीधे संपर्क करके, उनको सही जानकारी आफिशियल लेबल पर नहीं मिल पाती है, तो क्या आफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऐसा संशोधन सरकार द्वारा किया जाएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेबल पर जर्नलिस्ट हैं, उन्हें सरकारी स्तर पर न्यूज मिल सके और उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया जा सके?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mrs. Asima Chatterjee. (*Interruptions*) I can be very liberal within the Rules.

PROF. (MRS.) ASIMA CHATTERJEE (Nominated): Madam Deputy Chairman, I understand that the World Bank has agreed to give financial assistance of 280 million pounds to the Government of India for vocational training projects. In this respect I would like to know whether the Government has any future plans to establish an Institute of Printing Technology, because, to my knowledge there is no Institute of Printing Technology in India, whereas in other countries I had the opportunity to see them. Has the Government any plan to do so in future? Secondly, what compensation is the Government going to recommend or occupational hazards and health hazards of these employees? Thirdly I would like to know, what steps is the Government taking about going to suggest for wide circulation of newspapers in regional languages in rural areas, in remote corner and also abroad amongst the Indians in order to keep them abreast with the recent developments in our country and also other aspects in our country?

These are my three questions.

श्री विश्वेश्वरी दुबे : महोदया, माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातों के संबंध में जानकारी चाही है। इन सारी बातों को जिनको उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की है, उसका उत्तर दे पाना और ऐसी अपेक्षा करना कि उसके लिए तत्काल आश्वासन मैं दूं, यह संभव नहीं हो सकता लेकिन जो इस बिल से संबंधित है या जो बावत वेज बोर्ड से, चूंकि उस बिल से उसका संबंध है, उससे जो सम्बंधित है, उसके संबंध में जरूर कहना चाहूंगा कि वछावत वेतन बोर्ड के संबंध में जैसा कि मैंने कहा गवर्नमेंट ने उसको प्रोसेस किया है और हम अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचे हैं। उस निर्णय का सही कार्यान्वियन हो, उसमें कोई गलत फहमियां न रह जायें इसलिए इस बिल को लाते समय ही सरकार ने सोचा था कि माननीय सदस्य इस वेतन बोर्ड की रिकमंडेशंस के संबंध में विभिन्न सुझाव देंगे। लेकिन अगर उस पर निर्णय लेकर नोटिफिकेशन सरकार ने कर ही दी होती तो फिर आपको जो सुझाव देने हैं, उन पर विचार करने का मौका कैसे मिलता? तो इस बात का ही हमें इंतजार था कि हम माननीय सदस्यों के वछावत वेज बोर्ड को रिकमंडेशंस या पूरी रिपोर्ट में कहां, के संबंध में जो सुझाव हों, उनकी जानकारी लेकर, उन सुझावों के आलोक में अंतिम निर्णय लें। मैंने आपसे कहा कि सारे सुझाव आए हैं और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट्स एंड अदर एम्प्लाईज एंड मिसिलीनियस प्रोविजंस एक्ट, 1955 है, उसके क्लाज–9 में हम लोग वेज बोर्ड एस्टेब्लिस करते हैं और उसके 10 से लेकर 12 तक में प्रक्रिया निर्धारित है उसके नोटिफिकेशन वगैहर की, रिकमंडेशंस को एक्सेप्ट करते हैं, उसमें मोडिफिकेशंस करते है, एक्सटेंस के लिए नोटिफिकेशन की क्या प्रक्रिया है, उसके मोडिफिकेशंस के लिए क्या प्रक्रिया है—ये सारी चीजें उसमें निर्धारित की गयी हैं। अब माननीय सदस्यों ने काफी सुझाव दिए हैं जिसमें उन्होंने वछावत रिकमंडेशंस में सुधार की बातें कही हैं। जैसे कहा गया कि एच० आर० ए० में सुधार होना चाहिए। वह बहुत कम है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि सी० सी० ए० में सुधार होना चाहिए, वह बहुत अपर्याप्त है। किसी माननीय सदस्य ने डियरनेस एलाउन्स की भी बात कही है। तो अगर उसमें कुछ सुधार लाना सरकार आवश्यक समझेगी

तो आपके सुझावों के आलोक में सुधार लाएगी । अगर हम उसे पहले फायनालाइज कर देते तो आपके सुझाव पर क्या विचार करते ? हमने उन सुझावों को लिया है, अच्छे सुझाव आए हैं उन सुझावों के आलोक में सरकार निर्णय लेगी । सरकार अंतिम कार्यवाही करने के पहले, नोटिफिकेशन के पहले उन सुझावों पर फिर से विचार कर लेगी और एक्सपर्टस के साथ-साथ, उस रिकमंडेशंस को स्वीकार करने के साथ-साथ क्या-क्या और सुधार सिफारिश में लाने की आवश्यकता है, वह उस पर विचार कर के लाया जा सकता है । इसलिए मैंने समय नही दिया । लेकिन ऐसा तो मैं नहीं मानता कि जब मैंने अतिशीघ्र कहा—in the shortest possible time—तो उसकी कोई डिफिनीशन नहीं हो सकती है, ऐसी बात तो मैं नहीं मानता ।

SHRI DITEN GHOSH: How short is 'shortest possible'?

श्री बिन्देश्वरी दुबे : जब अतिशीघ्र कहता हूं तो उसका मतलब आप समझते हैं । समझने की इच्छा रखने वाले आदमी को समझाया जा सकता है, सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, जगे आदमी को कौन जगायें ? तो सवाल यह है कि आप तो स्वयं ही बडे चैतन्य और समझदार आदमी हैं । लेकिन समझदार, नहीं समझने की कोशिश करें तो मैं कैसे समझाया सकता हूं ?

THE DEUPTY CHAIRMAN: You should be thankful because the Minister called you समझदार आदमी ।

श्री विदेश्वरी दुबे : मेरे मित्र बहुत ही योग्य हैं । उनकी दृष्टि भी बहुत तेज है, लेकिन मैंने एक बार कहा था । वह तो हंसी में कहा था कि, नजर तेज होते हुए भी चश्मा रंगीन है, इसलिए वे सही चीज देख नहीं पाते । पत्रकारो की पेंशन के संबंध में बात कही गई । पेंशन के लिए मालूम है माननीय सदस्य को जिन्होंने बात उठाई और अन्य माननीय सदस्यों को भी । उसके संबंध में गवर्नमेंट ने एक कमेटी नियुक्त की थी । उस कमेटी ने उसके संबंध में पूरी छानबीन कर ली है, उसकी अनुशंसा संस्तुति भी प्राप्त हो गई है, वह भी फाइनल स्टेज पर है । उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद प्राविडेंट फण्ड एक्ट में कुछ संशोधन की जरूरत पड़ सकती है उसको कार्यान्वित करने के लिए । उसको भी हम यथाशीघ्र कार्यान्वित करना चाहते हैं । सोशल सिक्यूरिटी की जहां तक बात कही गई, पत्रकारों के लिए पेंशन भी एक सोशल सिक्यूरिटी स्कीम है, उसको इतना व्यापक बनाएं कि उनको और उनके परिवार के लोगों को भी अगर उनके लिए कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो तो सहायता मिल सके, उस पर सरकार पेंशन स्कीम बनाते समय जरूर विचार करेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं । अब कागज की कीमतों में बैलेंस करें, बढाएं या नहीं बढाएं, छोटे पत्रकारों को सपोर्ट प्राइस दें, नहीं दें, यह सब इस बिल से संबंध नहीं रखती । बड़े पत्रकारों को नहीं देंगे, छोटे पत्रकारों को सबसिडी देंगे, यह सब बातें सीधे इससे नहीं उठती हैं । इसका जवाब तत्काल नहीं दिया जा सकता है । विचार के लिए आपने सुझाव दिया है, सरकार उसपर विचार करेगी और जो उचित फैसला होगा, लेगी । उसके लिए कोई आश्वासन देना मेरे लिए संभव नहीं है ।

मेरा विश्वास है कि जो कुछ भी मैंने कहा है उसके बाद माननीय सदस्य सहर्ष इस बिल को स्वीकार कर लेंगे ।

THE DEUPTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE DEUPTY CHAIRMAN: May I ask the Members one thing? Our Minister of State for Home Affairs, Mr. Santosh Mohan Dev is here with us. But it was thought over in the morning that there are two Bills which we are going to pass without a discussion. Shall I get them passed?

SOME HON. MEMBERS: Yes.